

कार्यालय महालेखाकार(लेखा व हक0)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

अनुस्मारक

पत्रांक:-ले.ह.-2/03/नि.स.(प्र.)/गुप-2/123/2023/खंड-1/144.

दिनांक 30-05.2023

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,

सम्बन्धित खण्ड ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रपत्र-79(शैड्यूल आफ डिपाजिट) के पार्ट-2 एवं पार्ट-5 में लम्बित अवशेष धनराशि के संबंध में।

सन्दर्भ:-ले.ह.-2/नि.स.(प्र.)/71 दिनांक 04.05.2023 ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके माध्यम से मासिक लेखा माह 03.2023 के प्रपत्र-79(शैड्यूल आफ डिपाजिट) के पार्ट-2(Cash Security of Contractor) एवं पार्ट-5(Miscellaneous Deposit) में लम्बित अवशेष धनराशि पर 06 बिन्दुओं पर अपनी आख्या से दिनांक 20.05.2023 तक अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी(छायाप्रति संलग्न) किन्तु आपके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अद्यतन अवगत नहीं कराया गया ।

अतः आपको पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि आपके खण्ड के प्रपत्र-79(शैड्यूल आफ डिपाजिट) के पार्ट-2(Cash Security of Contractor) एवं पार्ट-5(Miscellaneous Deposit) में लम्बित अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय



30/05/2023

वरि0लेखाधिकारी/नि0स0(प्र0)

क०प०प०

पत्रांक:-ले.ह.-2/03/नि.स.(प्र.)/ग्रुप-2/123/2023/खंड-1/

दिनांक 05.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को:-

1. वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार सम्बन्धित खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र की एक प्रति सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, तथा उपरोक्तानुसार सूचना एकत्रित कराकर ससमय इस कार्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अवगत कराये कि दावेदार(Claimant) द्वारा Retention money आदि वापस किये जाने की मांग किये जाने पर क्या खण्ड देनदारियां वापस किये जाने की स्थिति में है? यदि नहीं तो खण्ड द्वारा देनदारियों के सापेक्ष बची सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 व्यय किये जाने पर आपके द्वारा क्या आपत्ति की गयी अथवा देनदारियाँ भविष्य में किस प्रकार वापस की जायेंगी इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी गयी।
2. सहायक लेखाधिकारी/कम्प्यूटर(सेल), स्थानीय को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वरि0लेखाधिकारी/नि0स0(प्र0)